रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1939] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 15, 2010/भाद्र 24, 1932

No. 1939] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 2010/BHADRA 24, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2010

का.आ. 2289(अ).—यत:, मै. सनड्यू प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, (पूर्वत:, मै. के. रहेजा आई.टी. पार्क हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड) जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में एक निजी संगठन है, ने आन्ध्र प्रदेश राज्य के रंगारेड्डी जिले में हाईटेक सिटी माधापुर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यत:, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 16 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1770(अ) में 16.29 हेक्टेयर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया था;

और यत:, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का पयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 6 अगस्त, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1928(अ) में 1.82 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित किया जिसके परिमाणत: उक्त विशेष आर्थिक जोन का क्षेत्र 14.47 हेक्टेयर हो गया था;

और अब, यत:, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात्:—

1.	विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त	—अध्यक्ष, पदेन
2.	निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा	—सदस्य, पदेन
3.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक	—सदस्य, पदेन
4.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा-शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	—सदस्य, पदेन
5.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	—सदस्य, पदेन
6.	निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार	—सदस्य, पदेन
7.	आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा	—सदस्य, पदेन
8.	मै. सनड्यू प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (जोन के विकासकर्ता) का प्रतिनिधि	—विशेष आमंत्रिती

और अब, यत:, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2010 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा ।

[फा. सं. एफ. 2/25/2006-ईपीजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2010

S.O. 2289(E).—Whereas, M/s. Sundew Properties Private Limited (Formerly, M/s. K. Raheja IT Park Hyderabad, Private Limited), a private organization in the State of Andhra Pradesh, had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Hi-tech City, Madhapur, Ranga Reddy District in the State of Andhra Pradesh;

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006, had notified the area of 16.29 hectares at above Special Economic Zone *vide* the Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1770(E), dated 16th October, 2006;

And whereas, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006, had denotified an area of 1.82 hectares from above Special Economic Zone to make resultant area as 14.47 hectares *vide* the Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1928(E), dated the 6th August, 2010.

And now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of Section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

1. Development Commissioner of the Special Economic Zone —Chairperson ex-officio
2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India —Member, ex-officio
3. Zonal Joint Director General of Foreign Trade, having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone —Member, ex-officio
4. Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner —Member, ex-officio
5. Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner —Member, ex-officio
6. Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India —Member, ex-officio
7. Two Officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the Government of Andhra Pradesh —Members, ex-officio
8. Representative of M/s. Sundew Properties Private Limited (Developer of the Zone) —Special Invitee

And, now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 15th day of September, 2010 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F. 2/25/2006-EPZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.